न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री जगदीश सिंह आशिया,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 172 / 2024

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. ताजाराम पुत्र हरजीराम, 2. जोधाराम पुत्र हरजीराम, 3. चम्पाराम पुत्र हरजीराम, 4. मूलाराम पुत्र हरजीराम, 5. प्रभूराम पुत्र हरजीराम, 6. गंगाराम पुत्र भारथाराम, 7. नेनाराम पुत्र भारथाराम, 8. मनोहरलाल पुत्र भारताराम, 9. प्रहलादराम पुत्र भारथाराम, 10. सकीदेवी पत्नी भारथाराम, उम्र सभी बालिग, जातियान मेघवाल, साकिनियत सडा, ग्राम पंचायत सडा, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।	1. किस्तुराराम पुत्र हेमाराम, 2. चिमनाराम पुत्र हेमाराम, 3. स्व० दजाराम पुत्र हेमाराम फौत कायम मु० वारिशान 3/1 मालाराम पुत्र दजाराम, 3/2 गुलाराम पुत्र दजाराम, 3/3 बबरीदेवी पत्नी दजाराम, 4. स्व० केसा पुत्र हेमाराम फौत कायम मु० वारिशान 4/1 शंकरलाल पुत्र केसाराम, 4/2 केवाराम पुत्र केसाराम, 4/3 देवी पत्नी केसाराम। 5. स्व० कॉकू पत्नी हेमा फौत कायम मु० वारिशान प्रतिवादी संख्या 1 से 4 कायम मु० वारिशान। 6. चेलाराम पुत्र नेथीराम, 7. भैराराम पुत्र नेथीराम, 8. भवाराम पुत्र नेथीराम, 9. मांगाराम पुत्र नेथीराम, 10. वजाराम पुत्र नेथीराम, कौम मेघवाल, साकिन सडा, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा। 11. रामाराम चौधरी पुत्र जेठाराम, 12. हनुमानराम चौधरी पुत्र जेठाराम, 13. केशीदेवी पत्नी जेठाराम, कौम जाट, साकिन इन्द्रासर सडा, ग्राम पंचायत सडा, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा। 14. ईसराराम पुत्र दीपाराम, 15. चाम्पाराम पुत्र दीपाराम, 16. टीकमाराम पुत्र दीपाराम, 17. [illegible] 18. पूनमाराम पुत्र पूरा[illegible] 19. [illegible] पुत्र पू[illegible] 20. [illegible] पुत्र दौलाराम 21. [illegible] 22. [illegible] 23. तगाराम पुत्र सुजाराम, 24. देवाराम पुत्र सुजाराम, 25. भमराराम पुत्र सुजाराम, 26. भादाराम पुत्र सुजाराम, 27. लाखाराम पुत्र सुजाराम,

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:08:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

	28. हरियादेवी पत्नी सुजाराम, 29. पेम्पोदेवी पत्नी पेमाराम, 30. रामाराम पुत्र मंगलाराम, 31. हरियों पुत्री सामीराम, प्रतिवादीगण सभी बालिग, जातियान कलबी,साकिन इन्द्रासर सडा, ग्राम पंचायत सडा, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा। 32. शाखा प्रबंधक आर०एम०जी०बी० शाखा सडा। 33. तहसीलदार सिणधरी एवं उपपंजीयक सिणधरी, जिला बालोतरा।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री चिमनसिंह चौधरी, अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।
2. सुश्री गजेन्द्रकंवर प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के वकील उपस्थित।
3. प्रतिवादी सं. 33 के पैरोकार उप.। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 24.12.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है,कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 31 की संयुक्त खातेदारी का खेत तहसील सिणधरी के पटवार मण्डल सडा के राजस्व ग्राम सडा के खसरा संख्या 559/362, 560/362 रकबा क्रमशः 0.1133, 9.4086 हैक्टेयर, कुल रकबा 9.5219 हैक्टेयर, किस्म बा०अव्वल तथा राजस्व ग्राम सडा धनजी के खसरा संख्या 517 रकबा 2.4623 हैक्टेयर किस्म बा०दो०, व राजस्व ग्राम आदर्श सडा खेत खसरा संख्या 414 रकबा 4.9187 हैक्टेयर, किस्म बा०दोयम, एवं मौजा हरीनगर खेत खसरा संख्या 303, 309 रकबा कर्मशः 28.8570, 13.3323 हैक्टेयर कुल रकबा 42.1893 हैक्टेयर किस्म बा०दो० एवं मौजा इन्द्रासर के खेत खसरा संख्या 424, 426, 447 रकबा कर्मशः 2.2248, 3. 9156, 4.2958 हैक्टेयर कुल रकबा 10.4362 हैक्टेयर किस्म चा[illegible] आया हुआ है। कि वादीगण का राजस्व ग्राम सडा के खसरा संख्या 559/362, 560/362 रकबा क्रमशः 0.1133, 9.4086 हैक्टेयर, कुल रकबा 9.5219 हैक्टेयर, में वादीगण संख्या 1 से 10 प्रत्येक का 1/20–1/20 हिस्सा तथा शेष हिस्से में प्रतिवादीगण जो जमाबन्दी में उल्लेखित है तथा राजस्व ग्राम सडा धनजी के खसरा संख्या 517 रकबा 2.4623 हैक्टेयर जिसमें वादीगण संख्या 1 से 10 प्रत्येक का 1/20–1/20 हिस्सा तथा शेष हिस्से में प्रतिवादीगण व राजस्व ग्राम आदर्श सडा खेत खसरा संख्या 414 रकबा 4.9187 हैक्टेयर जिसमें वादीगण संख्या 1 से 10

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:08:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

..क का 1/20-1/20 हिस्सा तथा शेष हिस्से में प्रतिवादीगण एवं मौजा हरीनगर खेत खसरा संख्या 303, 309 रकबा कर्मशः 28.8570, 13.3323 हैक्टेयर कुल रकबा 42.1893 हैक्टेयर जिसमें वादीगण संख्या 1 से 10 प्रत्येक का 1/20-1/20 हिस्सा तथा शेष हिस्से में प्रतिवादीगण एवं मौजा इन्द्रासर के खेत खसरा संख्या 424, 426, 447 रकबा कर्मशः 2.2248, 3.9156, 4.2958 हैक्टेयर कुल रकबा 10.4362 हैक्टेयर जिसमें वादीगण संख्या 1 से 10 प्रत्येक का 1/60-1/60 हिस्सा तथा शेष हिस्से में प्रतिवादीगण हिस्सा की संयुक्त खातेदारी है। जिसमें हिस्से खुले हुए है लेकिन वादीगण व प्रतिवादीगण के उक्त खेतों में विधिवत बंटवाडा नहीं होने की वजह से विवाद रहता है। अब विप्रार्थीगण बेशकीमती व विशिष्ट भू-भाग वाली भूमि को किसी अजनबी क्रेता के पक्ष में बैचान करने एवं नया निर्माण आदि कर हथियाने का प्रयास कर रहे है, यदि ऐसा करने में विप्रार्थीगण सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है। कि सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में रेकर्डेड खातेदार है जिनका वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है परन्तु विप्रार्थीगण द्वारा सड़क किनारे विशिष्ट भू-भाग पर निर्माण आदि करने पर प्रयासरत है जबकि विप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर तहसील सिणधरी के पटवार मण्डल सडा के राजस्व ग्राम सडा के खसरा संख्या 559/362, 560/362 रकबा क्रमशः 0.1133, 9.4086 हैक्टेयर, कुल रकबा 9.5219 हैक्टेयर, किस्म बा०अव्वल तथा राजस्व ग्राम सडा धनजी के खसरा संख्या 517 रकबा 2.4623 हैक्टेयर किस्म बा०दो०, व राजस्व ग्राम आदर्श सडा खेत खसरा संख्या 414 रकबा 4.9187 हैक्टेयर, किस्म बा०दोयम, एवं मौजा हरीनगर खेत खसरा संख्या 303, 309 रकबा कर्मशः 28.8570, 13.3323 हैक्टेयर कुल रकबा 42.1893 हैक्टेयर किस्म बा०दो० एवं मौजा इन्द्रासर के खेत खसरा संख्या 424, 426, 447 रकबा कर्मशः 2.2248, 3.9156, 4.2958 हैक्टेयर कुल रकबा 10.4362 हैक्टेयर किस्म चा०सो० में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं करें तथा न ही मौके पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का नया निर्माण या खुदाई करें एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में विप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जावें।

प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण सं. 1 से 10 की तरफ से अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। तथा शेष प्रतिवादीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। कि प्रार्थीगण तथा विप्रार्थीगण 1 से 31 की संयुक्त खातेदारी का खेत तहसील सिणधरी के पटवार मण्डल सडा के राजस्व ग्राम सडा के खसरा संख्या 559/362, 560/362 रकबा क्रमशः 0.1133, 9.4086 हैक्टेयर, कुल रकबा 9.5219 हैक्टेयर, किस्म बा०अव्वल तथा राजस्व ग्राम सडा धनजी के खसरा संख्या 517 रकबा 2.4623 हैक्टेयर किस्म बा०दो०, व राजस्व ग्राम आदर्श सडा खेत खसरा संख्या 414 रकबा 4.9187 हैक्टेयर, किस्म बा०दोयम, एवं मौजा हरीनगर खेत खसरा संख्या 303, 309 रकबा कर्मशः 28.8570, 13.3323 हैक्टेयर कुल रकबा 42.1893 हैक्टेयर किस्म बा०दो० एवं मौजा इन्द्रासर के खेत खसरा संख्या 424, 426, 447 रकबा कर्मशः 2.2248, 3.9156, 4.2958

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:08:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

यर कुल रकबा 10.4362 हैक्टेयर किस्म चा०सो० का आया हुआहै। इसी अनुरूप स्साकस्सी राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान की खुल्ली हुई है तथा राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अलग–अलग हिस्से दर्ज है एवं इसी हिस्सो में माफिक प्रार्थीगण विवादित भूमि पर काबिज है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है परन्तु प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेढों को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि का किसी अजनबी क्रेता के पक्ष में बैचान करने की धमकी दी, प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड़ने पर ऊतारू होकर प्रार्थीगण को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रद्दोबदल करने पर प्रयासरत है, यदि ऐसा करने में विप्रार्थीगण सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है। कि सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में रेकर्डेड खातेदार है जिनका वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। जहां तक प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेदो को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड रहे है एवं प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रखोबदल करने पर प्रयासरत है के सन्दर्भ में विप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के तथ्यों में कथन किया कि उनके द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का अतिक्रमरण अथवा किसी भू–भाग का हस्तान्तरण इत्यादि नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब उभयपक्ष वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार होने से उनके विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी इन तथ्यों को दस्तावेजी साक्ष्यों के प्रमाणित नहीं कर पाया। दूसरी तरफ जहां तक पक्षकारान के मध्य सामलाती खातेदारी के खेत के विभाजन का होने व उसे बेदखल करने का प्रश्न है, उसके निस्तारण की कार्यवाही मूल वाद में मात्र विभाजन कही इस्तदुआ को दृष्टिगत रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तलब किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रथम द्वष्टया प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को लिखा जाकर सुने जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:08:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी